संख्या-51/2017/2416 ई-2/तेरह-2017-09/2010

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 11 अक्टूबर,2017

विषय:-मे0 टेवा ए0पी0आई0 इण्डिया प्रा0लि0 औद्योगिक क्षेत्र, गजरौला, जनपद अमरोहा को उ0प्र0 प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2014 के अनुसार मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक, गंध अथवा किसी अन्य कोई पदार्थ को मिश्रित किये जाने से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-47/दो-805ए/विविध/2017-18/इलाहाबाद, दिनांक 14 अगस्त,2017 तथा पत्र संख्या-जी-58/दो-805ए/विविध/2017-18, दिनांक 25 सितम्बर,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में की गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2014 के नियम-17ख(इ) के अन्तर्गत मे0 टेवा ए0पी0आई0 इण्डिया प्रा0लि0 औद्योगिक क्षेत्र, गजरौला, जनपद अमरोहा को मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक और तीक्ष्ण गंध तथा त्वरित पहचान के लिये किसी प्रभावी प्रदार्थ को मिलाये जाने से छूट प्रदान किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) आपूर्तक प्वाइंट पर टैंकर में मिथाइल अल्कोहल लोड होने पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टैंकर के सभी आउटलेट एवं वाल्व उचित तरीके से सील कर दिये गये हैं।

(2) टैंकर पर हैजार्ड्स वार्निंग के स्टीकर लगाते हुये टैंकरों के ड्राइवरों को परिवहन के दौरान सुरक्षित पहुंचाने एवं मिथाइल अल्कोहल के गुणों से अवगत कराते हुये एकान्त जगह पर रोकने से मना किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) टैंकर के इकाई परिसर में पहुंचने पर सिक्योरिटी पोस्ट पर रोककर इकाई के अधिकारियों एवं आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सील आदि को चेक किया जायेगा। चेक करने के बाद ही टैंकर अनलोड किया जायेगा।

(4) मिथाइल अल्कोहल से उ0प्र0 प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल)(संशोधन) नियमावली,2014(यथा संशोधित) के अन्तर्गत समस्त प्राविधानों का अनुपालन इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि किसी भी स्तर पर मिथाइल अल्कोहल में अवैध निकासी एवं जहरीली शराब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाना पाया जाता है, तो इकाई के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत अनुमति समाप्त कर दी जायेगी।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।